



जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पौखीपैकीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

MC

क्रमांक-16/91

दिनांक-29/12/20
I.B.T(B) 69 / 2020-21 20

श्री. प्रवीण कुमार लैन पुत्र स्व. श्री कंचलकन्द लैन
मूलक सं. 316, सेक्टर ए. सेक्शन 04
शास्त्रीनगर, जोधपुर।

:::- भवन निर्माण आदेश :-:

विषय - आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनाबंध स्वीकृति हेतु।
प्रसंग - आपका आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक गठित भवन निर्माण अनुमति सन्ति की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 35 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1 बालकौनी व छप्पे का निर्माण नहीं करेगे।
- 2 पडोसी की बिल्डिंग लाईन को ज्यादा रखेंगे।
- 3 मानचित्र एवं प्लेट में यदि चटुदरी दर्शाई गई है तो उसे खुली रखेंगे।
- 4 खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगे।
- 5 स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
- 6 पर्च जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 नविध्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेगे।
- 8 भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
- 10 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुबा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	जी+1
कुल	1066.67 वर्गगज
दी वक्रफल	अग्र - 30' पार्श्व प. - 15' पार्श्व हि. - 15'
सैटबैक	पीछे - 15'

11 निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण सात्वानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

12 भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नलों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल मू-स्थानी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।

13 नवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूलण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उतका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

14 यह आदेश गान्धीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब कौथारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयशील रहेगा तथा वर्तमान-मविध्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को भनने के लिये सदैव बाध्य रहेगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 1,000/- - जांच शुल्क- 10,667/- - कुल राशि- 11,667/- - जरिये रसीद संख्या 9069/4855 दिनांक 11.06.2020, भवन निर्माण शुल्क- 5,500/- - बी.एस.यू.पी. शुल्क- 6,970/- - मलबा शुल्क- 5,000/- - विकास एवं संधारण शुल्क- 66,666/- - भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 10,456/- - उपकर- 61,477/- - कुल राशि- 1,56,069/- - जरिये रसीद संख्या 9069/1298 दिनांक 02.11.2020 सुर्क्षा व अमानत राशि- 10,000/- - जरिये रसीद संख्या 9069/4047 दिनांक 07.12.2020 एवं गृह कर- 3,759/- - जरिये रसीद संख्या 9069/4048 दिनांक 07.12.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपका आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर धारा गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- - (अक्षरें दस हजार रुपये) वसूल किये जायेगे।

29/12/20

उपायुक्ता
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण